85

न्यायालय श्री मान राजस्व मण्डल ग्वालियर बेंच रीवा (म0प्र0)

20 Rs. COURT FEE 20 रु. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

Rs. 201

निगरानी 1632-II-15

154
25.5.15

1— श्री मती कौशिल्या बाई पुत्री स्व0 ज्वाला प्रसाद तिवारी निवासी बांसघाट/तरहटी तह0 हुजूर, जिला रीवा म0प्र0

2— बैजनाथ तिवारी तनय स्व0 श्री ज्वाला प्रसाद तिवारी निवासी तरहटी रीवा तह0 हुजूर , जिला रीवा म0प्र0

------ आवेदक/ पुनरीक्षण कर्ता गण

बनाम

रामबाई बहेलिया पुत्री जोखू बहेलिया निवासी बांसधाट रीवा तह0 हुजूर ,जिला रीवा म0प्र0

----- अनावेदक/ रेस्पाडेन्ट

श्री सन्तोष श्रीवास्तव एड. के द्वारा आज दिनांक 25.5.15 प्रस्तुत किया गया।

रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

पुनरीक्षण याचिका विरूद्व आदेश ~~कुमिश्नर महोदय~~ रीवा संभाग रीवा दिनांक — 15/4/2015 अन्तर्गत धारा — 50 म0प्र0 भू — राजस्व संहिता सन् 1959ई

मान्यवर,

प्रकरण के तथ्य

रामबाई अनावेदक ने आवेदिका के स्वत्व व आधिपत्य की भूमि , मकान के सम्बन्ध में तथ्यों को छिपाकर विक्रय हेतु आवेदन राजस्व न्यायालय में दिया था एवं आवेदिका कौशिल्या बाई को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया जिस पर पूर्व में आयुक्त महोदय ने प्रकरण को प्रत्यावर्तित करते हुए आदेश दिया था कि कौशिल्या बाई आवेदिका को सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात ही अग्रिम कार्यवाही की जावे । इसके बाबजूद भी आवेदिका कौशिल्या बाई को कोई सूचना नहीं दी गई एव तथ्यों को छिपाकर दुबारा आदेश प्राप्त कर लिया जिसके विपरीत पुनः आयुक्त महोदय के न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की गई और निवेदन किया गया कि आवेदिका को विना सुनवाई का अवसर दिये हुए आदेश दिया गया है इससे प्रकरण को पुनः प्रत्यावर्तित किया जावे ,परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने याचिका निरस्त कर दिया एवं

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण क्रमांक 1632–दो / 2015 निगरानी — जिला रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
11-8-17	यह निगरानी आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 86 / 2011–12 अपील में पारित आदेश दिनांक 15 अप्रेल, 2015 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ निगरानी की प्रचलनशीलता पर आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि कलेक्टर रीवा ने प्रकरण कमांक 7 अ–21 / 11–12 में पारित आदेश दिनांक 17–4–12 से अनावेदिका को गलत आधारों पर भूखंड विकय की अनुमति प्रदान की है एंव कलेक्टर के आदेश के विरूद्व जब आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, आयुक्त रीवा संभाग ने प्रकरण कमांक 86 / 2011–12 अपील में पारित आदेश दि. 15–4–15 से दीवानी न्यायालय में प्रकरण चलने की आपत्ति को दरकिनार करते हुये कलेक्टर के आदेश को यथावत् रखने में भूल की है इसलिये संहिता की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व मण्डल में निगरानी श्रवण योग्य है। 4/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्को के प्रकाश में मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि मूल न्यायालय कलेक्टर के आदेश के विरूद्व प्रथम अपील आयुक्त / अपर आयुक्त को की जावेगी एंव आयुक्त / अपर आयुक्त व्दारा पारित अंतिम आदेश के विरूद्व द्वित्तीय अपील राजस्व मण्डल में सुनी जावेगी परन्तु आवेदकगण ने संहिता की धारा 44 के अंतर्गत द्वित्तीय अपील प्रस्तुत न करते हुये धारा 50 के अंतर्गत निगरानी प्रस्तुत की है जो अग्राह्य होने से इसी–स्तर पर निरस्त की जाती है। सदस्य	